शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

अर्द्धशा. पत्र संख्या-5/2018/711/का-2/2018
उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
लखनऊ, दिनांक: 04 दिसम्बर, 2018

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि सरकार द्वारा समय-समय पर राज्यकर्मियों के विनियमितीकरण हेतु नियमों के अधीन कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये जाते रहे हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कृपया 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त अपने विभाग (नियन्त्रणाधीन निगमों, बोर्डों एवं स्वायतशासी संस्थाओं सहित) में माह नवम्बर, 2018 तक विनियमित किये गये कार्मिकों की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक विभाग को 03 दिनों के भीतर अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सभिवादन।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
मुकुल सिंहल

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव, (नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विनियमित कार्मिकों का विवरण

विभाग का नाम-

क्र.सं.	समूह	दिनांक 01.04.2005 से 30.11.2018 तक विनियमित कार्मिकों की संख्या
1	2	3
1.	क	
2.	ख	
3.	ग	
4.	घ	
योग		

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
के हस्ताक्षर.....